

न्यायालय लहलीलकार रामगंठी

पीठाधीन अधिकारी :- Mr राधेश्याम श्रीवा C.R.T.S लहलीलकार रामगंठी

दिनांक ५/२०१७

शुभेश कुमार शंहीरालाल मेहर कि जुली नं० रामगंठी

दस्तावेज

शुभेश जैन शं० ज्ञानचन्द जैन कि मोडक नं० रामगंठी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा १४३(बी) स.३.एक्ट

निर्दिष्ट दिनांक ०४-०४-२०१८

संदेह में वाद प्राप्ति का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शुभेश कुमार शंहीरालाल जाली मेहर निवासी जुली नं० रामगंठी ने निवेदन किया है की ग्राम मोडक नं० रामगंठी के खाला स. नं० ३६६ स. नं० १६७० ख. नं० ०.४६ कि. म. कारनी वृत्ति पूर्व दिशा स्वयं के खालासी बूटि है। तथा उक्त आराजी में श्री मोडक स. नं० की जाली वनी काईपाल स. नं० ०.१६ है। यदि मोडक के सहारे विधिपर अर्थात् हीं जुनी है। दरमाम में स. नं० १६७० की ०.६५ है। यदि हीं पर मोडक है। उक्त शर्त पर शुभेश जैन शं० ज्ञानचन्द जैन कि मोडक ने अर्पणात्मक रूप से पूर्वी भाग पर कब्जा कर रखा है। किन्तु उक्त शर्त पर कब्जा करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अर्थात् स्वयं जाली का धर्मि है। और आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण में काफी कष्ट व त्रास कर धर्मि है। और जैरे खाले की शर्त शुभेश जैन कि मोडक है।

P.T.O-2

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रवाही को जहाँ नोटिस  
बलब दिया गया। अप्रवाही की अंत में आक्रामक उपस्थित  
हुए, जिनके हेतु अन्वय चाहा जाते पर अन्वय प्रदान  
किया गया। अन्वय अन्वय दिए जाने पश्चात् जहाँ  
अप्रवाही बन्द किया गया।

पटवारी इलाका में विचारित कानूनी  
की रिपोर्ट संक में रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में  
राजस्थान रेकर्ड अन्वयिक जमावदी सं. 204-74 अन्वयिक  
के सं. नं. 1670 संका 0.81 है। अन्वयिक अन्वयिक  
जहाँ में नोटिस विवाही संका दर्ज रेकर्ड है।

अन्वय सं. नं. 1670 में नं. नानिगिठिन निष्पत्ति विचारित  
के जहाँ LA 0/189 दिनांक 21/11/70 में 0.16 है। नोटिस  
बाई पास में प्रकाश है प्रती है। निष्पत्ति अन्वयिक दर्जा संका  
रेकर्ड में नोटिस है खाली लेकिन नोटिस पर दाखिली विचारित में  
नोटिस बाई पास निष्पत्ति अन्वयिक है। अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक  
संका पर अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक  
अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक  
अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक  
अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक

पतापत्ती में अन्वयिक अन्वयिक / रेकर्ड / नोटिस / अन्वयिक  
का अन्वयिक किया गया। अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक  
की जमावदी में सं. नं. 1670 की 0.81 अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक  
अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक  
अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक  
अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक  
अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक अन्वयिक

(3)

0.16 है। अभी वाइपायु शेड के लिए आवेगनिक निरीक्षण विभाग द्वारा आवेगन की जा चुकी है।

परवारी हलका में मौक रिपोर्ट व नजरी नमूना प्रतापिक उमर शक्ति पर अप्रार्थ सुजीत के 400 लोग पंच में शाय काडा, मजग, दुकाग केग कर अंदर कलगा व कम्प व्यम्सि सुहलाड 400 मालू, मैकलाल 400 मालू का काडा होग वहाण गका है।

उमर शक्ति के सम्बन्ध में आगनीय-पायलिय सिविल -चापाधीय सकारगरी के दिक्क 03-16-2017 में प्रार्थ का शक्ति का कारगनिक स्वामी मजग मालू व सुजीत केन का प्राधपच अस्वीकर कर खारिज किया गया है।

अतः परवारी हलका में मौक रिपोर्ट व नजरी नमूना के प्रतापिक उमर शक्ति के रकवे में अप्रार्थ में अंदरकल किया जाता है। नू-आगनीय निरीक्षण कर पालन होत लहरीर जारी हो। प्रतापली दाखिल देकर है।

मिलीप सु नामा मजग

के

लहरीलदार सकारगरी